

पत्रांक : सम्बद्धता/2024/07/5498

दिनांक : 23/07/2024.

महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक

समस्त, महाविद्यालय

सम्बद्ध- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

विषय- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रो० शान्तनु रस्तोगी)

कुलसचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
- 2 प्रभारी, आई०टी०सी० सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लॉगइन में प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
- 3 प्रभारी सचिव कुलपति कार्यालय, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 4 वैय० सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव